



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30032025-262148  
CG-DL-E-30032025-262148

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1508]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 28, 2025/ चैत्र 7, 1947

No. 1508]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 28, 2025/ CHAITRA 7, 1947

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2025

**का.आ. 1526(अ).**—जबकि भारत सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मध्य प्रदेश राज्य में मुंबई—नागपुर—झारसुगुडा नेचुरल गैस पाइपलाइन खंड नागपुर— जबलपुर पाइपलाइन खंड के माध्यम से प्राकृतिक गैस में परिवहन के लिए मेसर्स गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और भारत सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि के उपयोग अधिकार का अर्जन किया जाए,

अतः जब भारत सरकार पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा की उपधारा (1) द्वाराप्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती हैं।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध कर दी जाती है, 21 दिन के भीतर उस भूमि के नीचे पाइपलाइन

बिछाए जाने की सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी मध्य प्रदेश राज्य मेसर्स गेल (इण्डिया) लिमिटेड को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

मुम्बई-नागपुर-झारसुगुडा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन						
अनुभाग-नागपुर-जबलपुर						
अनुसूची						
राज्य : मध्य प्रदेश						
जिला	तहसील	गाँव का नाम	सर्वेनं.	क्षेत्रफल		
				हेक्टेअर	आर	वर्गमीटर
1	2	3	4	5		
पादुर्णा	सौंसर	रंगारीठोका	318	00	03	87
छिंदवाड़ा	मोहखेड़	बिसापुर कलाँ	16	00	05	10
			9/4	00	02	14
छिंदवाड़ा	मोहखेड़	जमुनियाबडी	199	00	00	29
			198	00	02	10
			196	00	08	85
			184/4	00	00	35
			183	00	02	34
छिंदवाड़ा	मोहखेड़	बोथिया	10/2	00	01	20
छिंदवाड़ा	बिछुआ	मोहपानीमाल	38/1/1	00	00	50

[फा. सं. एल-14014-82-2022-जीपी-II(ई-42552)]

रामजीलाल मीना, अवर सचिव

## MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March, 2025

**S.O. 1526(E).**—whereas it appears to Government that it is necessary in the public interest that for transportation of Natural Gas through **Mumbai – Nagpur – Jharsuguda Natural Gas Pipeline** Section of **Nagpur – Jabalpur** in the state of **Madhya Pradesh**, a pipeline should be laid by M/s. GAIL (India) Limited.

And whereas it appears to Government of India that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act 1962 (50 of 1962), Government of India hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule, may within twenty-one days from the date on which the copies of the notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India, are made available to the General Public, object in writing to the acquisition of the right of user therein or laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, State of **Madhya Pradesh**, M/s. GAIL (India) Limited.

Mumbai-Nagpur-Jharsuguda Natural Gas Pipeline						
Section- Nagpur – Jabalpur						
SCHEDULE						
State : Madhya Pradesh						
District	Tehsil	Village	Survey No.	Area		
				Hect.	Are	Sq. mtr.
1	2	3	4	5		
Pandhurna	Sausar	Rangari Thoka	318	00	03	87
Chhindwara	Mohkhed	Beesapur Kalan	16	00	05	10
			9/4	00	02	14
Chhindwara	Mohkhed	Jamuniya Badi	199	00	00	29
			198	00	02	10
			196	00	08	85
			184/4	00	00	35
			183	00	02	34
Chhindwara	Mohkhed	Bothiya	10/2	00	01	20
Chhindwara	Bichhua	Mohpani Mal	38/1/1	00	00	50

[F. No. L-14014/82/2022- G-II (E-42552 )]  
RAMJI LAL MEENA, Under Secy.